Proceedings of Environmental Public Hearing conducted on date: 28/08/2024 on the proposal submitted by Smt. Rama Sharma, Prop. M/s Sidhi Vinayak Stone Crusher, Village Ranoh, PO Khanpur, Tehsil Jaswan Kotla, Distt Kangra HP. for the extraction/collection of sand, stone and bajri from Khasra No. 79/1 (5-72-02 Hac) and 447/1 (4-24-62 Hec) total area measuring 09-96-64 Hect. (Govt. Land) falling in MohalRanoh, Tehsil Jawan, District Kangra H.P.

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Smt. Rama Sharma, Prop. M/s Sidhi Vinayak Stone Crusher, Village Ranoh, PO Khanpur, Tehsil Jaswan Kotla, Distt Kangra HP. for the extraction/collection of sand, stone and bajri from Khasra No. 79/1 (5-72-02 Hac) and 447/1 (4-24-62 Hec) total are measuring 09-96-64 Hect. (Govt. Land) falling in Mohal Ranoh, Tehsil Jawan, District Kangra H.P. was conducted on date: 28/08/2024 near M/s Sidhi Vinayak Stone Crusher, Village Ranoh, Tehsil Jaswan Kotla, District Kangra H.P. by H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala as per notification No-SO-1533 dated 14.09.2006. This public hearing was organized by H.P. State Pollution Control Board under the Chairmanship of Ms. Shilpi Beakta, H.A.S, Sub Divisional Magistrate, Dehra according to prescribed process of public hearing and as per the notification no: S.O. 2163 (E), dated: 09/05/2022. The attendance sheet of participants present in the public hearing is enclosed (**Annexure-I**).

The officers/officials from Industry Department, Mining Department, Jal Shakti Vibhag, Horticulture Department, and Police Department, etc were present during the public hearing. Pradhan/ Up-Pradhan and representatives of Panchayat, & local public of Panchayats were also present during the public hearing.

First of all, Er. Varun Gupta, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala welcomed the Chairperson, officers and officials of various Departments, representatives of all Panchayats, local public, project proponents and their consultants. He requested everyone to express their views, comments, suggestions and objections regarding the proposal submitted without any fear and pressure, and Chairperson was requested to permit to start the public hearing.

The Chairperson permitted to start the process of public hearing and requested the project proponent to give the detailed description to the public about the project proposal. The detailed description regarding this proposed mining area was given by the consultant of the Project Proponent. The Chairperson also requested the people present in this Environmental Public Hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease without any fear and pressure from any corner.

Videography of the public hearing was carried out. Accordingly the proceedings of the Environmental Public Hearing were recorded and the same are reproduced here as under.

Sr. No.	Name & Address	Issues/Suggestions raised	Reply
1	Sh. Trilok Chand, Village Haled, District Kangra H.P.	He first thanked the Chairperson, all the officers/ Officials of various Departments and Pradhan, Up-Pradhan, local residents of the village and said that we are mostly affected people due to mining here. The land surrounding the Swan Khad belongs to our villages and a lot of mining is carried out here. Due to which huge pits have been created, this may cause bad effects in future. Usually big vehicles are parked at this crusher site. We have no information about where this mining material is being transported and sold. The government does not get any benefit from this mining as they do not impose any tax/duty on it. We are not happy with this mining. The road is also getting damaged due to mining activities. Further submitted if any person loose his life by getting swept away in the Khad, then who will be held responsible for it? Therefore, I oppose this project and appeal to the entire public to oppose this project by raising their hands because I do not have any personal benefit from it. I just want that our environment should be safe. Therefore this crusher should be closed. They have also diverted the water from the Khad into the constructed settling pits. The said site should be inspected. There are 05 to 06 very	The Project Consultant appreciated Sh. Trilok Chand for being aware about the environmental issues and replied over the matter of pits created due to the mining activities. He further said that mining will be carried out only up to 01 meter of depth and if the ground water level comes earlier, then mining will not be done. Further to avoid said erosion from agricultural land, an area of 10 meters on both sides of the mining lease will be left as a safety zone and check dams will be provide wherever there is a possibility of soil erosion. He answered about the question regarding the drying of fields in this area due to decrease of water level by mining activities. He said that the problem of decrease in water level is in entire country. For this problem, the government is making suitable efforts. Apart from this, he told about the village road that it is not used for trucks and whenever road gets damaged due to heavy rains or monsoon, the Project Proponent repaired it. But the work of constructing new roads is under the purview of concerned departments.

		important aspects in this regard: Huge mining activity has already been carried out here, due to which deep pits hàve been created. The animals get stuck in these pits. Our lands adjoining to this area are also becoming deeper due to mining activities. The water level has gone down and land is drying. We are facing problems to commute through these roads. We are not getting any benefit from the bridge which was built by the government. There is no improvement in our road, the project owners definitely helped to repair the road by JCB but this is not a permanent solution. So our facts must be considered and this crusher must be shut down. He said that there is a provision for mining up to 01 meter only. Is it inspected by any authority that how much mining done here? He said that the information given by you is beyond our understanding. All people of the village are present here. Excavation around 40 feet has already been done here and which official has inspected this area and what action has been taken. No information has been provided by you regarding the website also	There is a provision of District Mineral Royalty Fund in which Rs. 10 per ton of material is deposited and 60 percent of that would be used in the periphery of 05 km affected area whereas the remaining 40 percent will be spent as per the rules of District Mineral Royalty Fund. Apart from this, the material to the economically weaker section people will be given by the Project Proponent at nominal rate in future as well. It was informed by the Project Consultant that even after getting environmental clearance, the Project Proponent has to submit the compliance report of the conditions mentioned in Environmental Clearance in every 06 months, a copy of which is also available with government and online on website. Further, a complaint can be lodged in case of any non compliance. The Chairperson directed Mining Department to submit a report on the said matter and said that if any action is required, the matter will be forwarded to the Deputy Commissioner for further necessary action.
2	Sh. Ajay Kumar, VPO Sanoh Beri, District Una H.P.	He said that we don't have any issue with the crusher. When we drive a tractor and lift goods from our	The Chairperson informed that if you are doing mining activities even from your land then it

		property, the department issues a challan up to Rs 5000. He told that challans are issued by the police department for mining in the terrace area in District Una, H.P.	becomes government property under the *Mining Mineral Act*. Therefore a minimum challan of Rs 5000/- is imposed. There is a provision for challan of Rs. 15,000/- to Rs. 2,50,000/-. This public hearing is being carried out for mining in Saon River. Your question is related to the Police department, which will be raised before the concerned Deputy Superintendent of Police.
3	Sh. Manoj Kumar, Up-Pradhan KotllaBehad, Village Jol, PO Jandour, District Kangra H.P.	He said that this crusher should be operated here. There is no source of sand or gravel nearby here. They issued the form-M for material and we can construct house, Panchayat's roads. We are requested that the mining work should be carried out as per the rules and the material should be available at nominal rate/price.	------------
		The Chairperson requested all the people present to express any suggestion, issue and complaint regarding this mining project and also requested all the people to mark their presence in the attendance form.	
4	Sh. Yoginder Kumar, S/o Sh. Gian Chand, Village Ranoh, District Kangra H.P.	First of all, he thanked Chairperson and the officers and employees of various departments and the local residents present in the public hearing and said that the roads have been damaged due to the crusher, which poses threat to us. The roads are getting deeper and in future there will no other way left to commute from Himachal to Punjab State from this Panchayat. There is no benefit of the bridge to this panchayat which was constructed by the Government amounting to Rs. 62 crore. He said that the government should provide a new route along this bridge so that we can connect with Punjab. There is no problem of pollution from the crusher but problem due to depth of pits	It was assured by the Project Consultant on behalf of the Project Proponent that the mining should be carried out as per the mining rules and carried out up to one meter only. The main roads will be look after by the District Administration itself but the local roads will be repaired by the Project Proponent and this work is also being carried out presently here.

		should be considered.	
5	Sh. Tarsem Lal, Pradhan Gram Panchayat Amroh, District Kangra H.P.	He said that pits should not be created due to mining here and material should be provided to the people of nearby Panchayats at nominal rate/price. He said that mining should be carried out as per the rules.	It was assured by the Project Consultant on behalf of the Project Proponent that the material will be given to the people at nominal rate/price, however it should not be misused. The project consultant said that mining will be carried out as per the rules.
6	Sh. Pradeep Kumar, Village Katholi Beri, District Kangra H.P.	He asked whether any action will be taken on issues raised by the people present here or not. The rivers have become deeper here due to which commute through these khad also difficult.	The Chairperson requested the officers of the Police department to take suitable action in this matter. He also informed that the matter has been referred to the concerned department for necessary action and once the report received, further action will be initiated accordingly.
7	Sh. Joginder Singh, Village Ranoh, District Kangra H.P.	He asked that the solution should be provided for the lands which have been washed away due to mining activity. There is 40 feet deep pit formed here due to which our land is also washing away. Solution of the same should be provided otherwise crusher should be closed. You can inspect and check that a loss of about Rs 10 lakh of my land has been done due to mining activities and all the pillars adjoining to my land have been washed away and asking for solution of the same. He said that mining is being carried out and almost 40 feet pits have formed here.	The Project Consultant informed that this is a new mining lease and mining will be carried out only after the approval of environmental clearance. The Chairperson said that all issues raised by you shall be taken into consideration and instructions have been given to the concerned Mining Officer for further action. Apart from this, this public hearing is being carried out for the new mining lease and the concerns/ objections raised in this public hearing will be sent to the Himachal Pradesh Government. The mining lease will be approved after the consideration of issues raised by public in this public hearing.

8	Sh. Vijay Sharma, Incharge Police Station Sansarpur Terrace, District Kangra H.P.	He thanked the Chairperson for presenting his views in the public hearing and said that only police is not committed for issuing mining challan, but there are about 17 departments which have challan books and they are authorized to issuing challan for illegal mining activities. Apart from this, the police department is also performing the duties of Revenue Department, Excise and Taxation Department and Forest Department because the police department is entangled by other departments work. And if the police perform their duties then there will be no violation here. He questioned that how many departments have issued challans for illegal mining? If any complaint received then it should be dealt by concerned department but all the complaints are transferred to the police department only. An area of 90 km falls under the jurisdiction of this Police Station and there are 13 Panchayats falls under the jurisdiction of this Police station. We are using our personal vehicle to visit the site here. I have joined here about 03-04 months before and I have conducted almost 09 challans for illegal mining activities and imposed around Rs. 3 lakh. Recently, Poclain was confiscated for the illegal mining with the help of local villagers and a fine of Rs. 1 lakh was imposed. Therefore, the police is doing its work. He requested the other departments to check mining activities on regular basis and take suitable action. He urged the people to raise their issue related to the functionality of police department, so that same could be answered.	--------------

9	Sh. Trilok Chand, Village Haled, District Kangra H.P	He asked whether this public hearing is being carried out for the allotment of new mining area or for the renewal of the previously allotted mining lease? He told that there is lot of damage here due to mining activities. Therefore, we want that this new mining lease should not be approved and requested the authorities not to make any recommendation for the approval of this mining lease.	The Assistant Environmental Engineer, HP State Pollution Control Board Dharamshala informed that this public hearing is being carried out for the Environmental clearance of total measuring area of 09-96-64 hectares. When the crusher was installed here, about 13 hectares of mining lease area was allotted however due to the construction of the bridge here, mining area was reduced. The said mining lease was also a Government land and to complete this mining lease area, the Government has proposed new mining lease area for which this public hearing is being carried out for the allotment of a new mining lease area. Assistant Environmental Engineer, State Pollution Control Board informed that this public hearing is being carried out to register your objections/issues. After the public hearing, the proceedings and video recording will be sent to the Government of India after the approval of Chairperson. The decision for approval of this mining lease area is taken by Government of India only.
		He requested the Project Proponent to provide the information about the mining carried out here.	Assistant Environmental Engineer, State Pollution Control Board Dharamshala informed that this public hearing is being carried out for the new mining lease area. Apart from this, you can contact the concerned department for other issues.
10	Sh. Vijay Sharma,	He requested the Revenue	The Chairperson said that

	Incharge Police Station Sansarpur Terrace, District Kangra H.P.	Department to make the proper demarcation of the Swan River because it is difficult for take action for illegal mining activities without it.	instructions will be given to Tehsildar in this regard and the Mining Department will ensure for the marking the same.

In addition, no written issues/suggestions were received during the public hearing.

After this, the Chairperson thanked all those who were present during the public hearing and said that the suggestions were given by the public without any fear and pressure. This all has been recorded in written and by videography also. This will be sent to Govt. of Himachal Pradesh and further decision shall be taken by the Ministry of Environment, Forest & Climate Change. At last, the Chairperson thanked all the Officers, Officials of various Departments and Pradhan, Up-Pradhan of villages and local residents.

At the end, Er. Varun Gupra, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board thanked all the officers of different Departments and the public for attending the Public Hearing and concluded the public hearing.

Shilpi Beakta, H.A.S,
Sub Divisional Magistrate, Dehra,
District Kangra, H.P.

श्रीमति रमा शर्मा, प्रोप मैसर्स सिद्धि विनायक स्टोन क्रशर, गांव रनोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 79/1 (5–72–02 हैक्टेयर) खसरा संख्याः 447/1(04–24–62 हैक्टेयर) कुल क्षेत्रफल 09–96–64 हैक्टेयर (सरकारी भूमि/सोन खड का नदी तल), मोहाल रनोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0 से रेत, बजरी व पत्थर के खनन व संग्रह / 2,04,750 एमटीपीए के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन संबधी कार्यवाही का विवरण।

श्रीमति रमा शर्मा, प्रोपः मैसर्स सिद्धि विनायक स्टोन क्रशर, गांव रनोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्याः 79/1 (5–72–02 हैक्टेयर) खसरा संख्याः 447/1 (04–24–62 हैक्टेयर) कुल क्षेत्रफल 09–96–64 हैक्टेयर (सरकारी भूमि/सोन खड का नदी तल), मोहाल रनोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0 से रेत, बजरी व पत्थर के खनन व संग्रह/2,04,750 एमटीपीए के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 28/08/2024 को 12:00 बजे नजदीक मैसर्स सिद्धि विनायक स्टोन क्रशर, गांव रनोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में करवाया गया। यह पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0–एस0ओ0 1533 दिनांक 14/09/2006 एवं अधिसूचना सं0: –एस0ओ0 2163 दिनांक 09/05/2022 के अंतर्गत निर्धारित प्रकिया के अनुसार उपमण्डलाधिकारी, देहरा,जिला कांगडा, (हि.प्र.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची प्रपत्र–1 पर उपलब्ध है। इस जन–सुनवाई के प्रारम्भ में ई0 वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण, पंचायत प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों व उपस्थित स्थानीय निवासियों को जन–सुनवाई में पहुंचने पर धन्यवाद व्यक्त किया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा परियोजना के प्रारुप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण बारे जन–समूह को अवगत करवाने हेतू परियोजना के परामर्शदाता को कहा गया। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा परियोजना के प्रारुप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण बारे जन–समूह को अवगत करवाया। इसके अतिरिक्त सभी उपस्थित लोगों से इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त करने हेतू आग्रह किया गया।

इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र. सं.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री त्रिलोक चंद, गांव हलेड़, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया व कहा कि हम यहां खनन से सबसे अधिक प्रभावित हैं और यहां स्वां खड के आस पास की जमीनें हमारे गांव की है और यहां पर बहुत ज्यादा खनन हो रहा है जिससे बहुत बड़े–2 खडडे बन गये हैं। भविष्य में इसके काफी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इस क्रशर के उपर बडी–2 गाड़ियां खडी रहती हैं और यह खनन का सामान कहां जाता है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है और इससे सरकार को	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रतिभागी के पर्यावरणीय जानकारी हेतू सराहना की और कहा कि जहां तक खडडो का प्रश्न है, खनन 1 मीटर तक ही किया जाएगा और यदि धरातलीय पानी का स्तर पहले आ जाता है तो इसमें खनन नहीं किया जाएगा। दूसरा आपकी कृषि योग्य जमीन बह रही है। उसमें बताना चाहता हूं कि नदी के दोनों तरफ 10 मीटर का क्षेत्र सेफटी जोन के तहत छोड़ा जाएगा और जहां भी भूमि अपरदन की आशंका होगी वहां

		कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा इस पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया है और न ही यह जानकारी है की इस खनन मैटिरियल को कहां बेच सकते हैं। हम इस खनन से नाखुश हैं। यहां का रास्ता भी इस खनन परियोजना के कारण गहरा होता जा रहा है और यदि किसी व्यक्ति का इसके कारण खडड में बहकर जान का नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अतः मै इस परियोजना का विरोध करता हूं तथा समस्त गांव से भी इस परियोजना के लिए हाथ उठाकर अपना विरोध व्यक्त करने हेतू अपील करता हूं क्योंकि इससे मेरा कोई निजी लाभ नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। अतः इस क्शर को बंद होना चाहिए। इन्होंने खडड के पानी को निर्मित खडडे में डाल दिया है। इसके लिए उक्त स्थान का निरीक्षण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 05 से 06 बहुत महत्वपूर्ण पहलु है: यहां पर खनन जरुरत से ज्यादा किया जा चुका है। जिससे यहां काफी गहरे खडडे हो गये है। कुछ समय पहले यहां पर फलड के कारण पशु इन खडडों मे फस गये थे। हमारी जमीनें इस क्षेत्र के साथ हैं वह भी गहरी होती जा रही हैं। पानी का स्तर नीचे जा चुका है जिससे जमीन को पानी न लगने के कारण जमीने सूख रही हैं। हमारे लिए यंहा से आने–जाने की समस्या हो रही है। यहां पर सरकार द्वारा बनाए गये पुल का हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। हमारे रास्ते में कोई भी सुधार नहीं है परियोजना मालिकों द्वारा जेसीवी लगाकर रास्ता बनाने में जरुर सहायता कर दी जाती है परन्तु यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। अतः हमारे तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस क्शर को बंद होना चाहिए।	पर चैक डेम बनाए जाएगें। और खेतों के सूखने के लिए पानी के स्तर के नीचे जाने के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं पानी के स्तर में कमी की समस्या पूरे देश में है। जिसके लिए सरकार उचित प्रबन्ध कर रही है। इसके अतिरिक्त गांव के रोड के बारे बताना चाहता हूं कि इसका उपयोग ट्रकों के लिए नहीं किया जाता है जब कभी भारी बर्षा के कारण सड़क खराब हो जाती है तो यह उसकी मुरम्मत कर देते हैं। परन्तु नई सड़क को बनाने का कार्य सम्बन्धित विभाग के अन्तर्गत है। इसके अन्तर्गत एक जिला मिनरल रायलटी फंड होता है जिसमें मैटिरियल का 10 रु0 प्रति टन से जमा होता है। उसके 60 प्रतिशत का उपयोग 05 कि0मी0 के प्रभावित क्षेत्र में किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत राशि जिला मिनरल रायलटी फंड के नियमानुसार खर्च की जाएगी। इसके अतिरिक्त परियोजना मालिको द्वारा आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों को मैटिरियले उचित रेट पर दिया जा रहा है और भविष्य में भी उचित मूल्यों पर दिया जाएगा।
		उन्होंने पूछा कि जैसा कि 01 मीटर तक ही खुदाई का प्रावधान है क्या इसका निरीक्षण भी किया गया कि यहां पर कितनी खुदाई की गई है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि पर्यावरण मंजूरी मिलने पर भी परियोजना मालिक को हर 06 महीने में पर्यावरण मंजूरी की शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट जमा करवानी होती है जिसकी प्रति सरकार व आनलाईन वेवसाईट पर

			भी उपलब्ध होती है। जिसमें कोई भी कमी होने पर उसकी शिकायत की जा सकती है।
		उन्होंने कहा कि आप द्वारा दी गई जानकारी हमारी समझ से परे है। यहां पर सभी गांव के लोग है। यहां पर 40 फुट तक खुदाई कर दी गई है और किस अधिकारी द्वारा यहां निरीक्षण किया गया और क्या कार्यवाही की गई। आपके द्वारा वेवसाईट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।	अध्यक्ष महोदया द्वारा खनन विभाग के अधिकारी को मौके पर उक्त मामले में रिपार्ट जमा करवाने हेतू निर्देश दिए और कहा कि रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई कार्यवाही बनती है तो उपायुक्त महोदय को आगामी कार्यवाही हेतू मामला भेज दिया जाएगा।
2.	श्री अजय कुमार, गांव व डा0 सनोह बेरी, जिला ऊना हि0प्र0।	उन्होने कहा कि हमें क्शर से कोई परेशानी नहीं है। हम टैक्टर चलाते है और अपनी मलकियत से सामान उठाते हैं तो विभाग रु0 5000 तक का चालान कर देते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा टैरेस क्षेत्र में खनन के लिए जिला ऊना में चालान किए जाते हैं।	अध्यक्ष महोदया द्वारा बताया गया कि यदि आप अपनी मलकियत से भी खनन कर रहे है तो वह माईनिग मिनरल एक्ट के तहत सरकारी सम्पति बन जाती है। इसलिए निम्नतम रु0 5000/– तक का चालान किया जाता है। इसमें रु0 15000/– से लेकर रु0 2,50,000/–तक के चालान का प्रावधान है और यह जन–सुनवाई सोन नदी में खनन को लेकर हो रही है। आपका प्रश्न पुलिस विभाग से सम्बन्धित है जिसे सम्बन्धित पुलिस, उपधीक्षक के समक्ष उठाया जाएगा।
3.	श्री मनोज कुमार उप–प्रधान कोटला बेहड़, गांव जोल, डा0 जण्डौर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने कहा कि यह क्शर चलना चाहिए। हमें नजदीक कोई भी रेत, बजरी का साधन नहीं है और यहां से सामान लेने पर एम फार्म दिए जाते हैं जिससे घर, पंचायत व रास्तों का कार्य सही कर सकते है। हमारा अनुरोध है कि खनन का कार्य नियमों अनुसार होना चाहिए और सामान सस्ते मूल्यों पर मिलना चाहिए।	------
		अध्यक्षा महोदया द्वारा सभी उपस्थित लोगों से इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत व्यक्त करने हेतू अनुरोध किया और सभी लोगों से हाजिरी प्रपत्र में अपनी–अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतू भी अनुरोध किया।	
4.	श्री योगिन्द्र कुमार, स्पुत्र ज्ञान चंद, गांव रनोह, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों को धन्यवाद किया व कहा कि क्शर से रास्तों को नुकसान हुआ है, वह हमारे लिए खतरा है और जो गहराई बनती जा रही है तो आने वाले समय में हिमाचल से पंजाब के	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा परियोजना मालिक की तरफ से आश्वशत किया गया कि खनन नियमों के अनुसार होगा और एक मीटर तक ही किया जाएगा। मुख्य सड़क मार्गो को जिला प्रशासन द्वारा ही ठीक किया जाएगा परन्तु

		लिए इस पंचायत के लिए कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। सरकार द्वारा रु0 62 करोड़ का पुल बनाया गया है जिसका इस पंचायत को कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा सरकार को इस पुल के साथ नए रास्ते का निर्माण करना चाहिए ताकि पंजाब के साथ सम्पर्क हो सके। क्रशर से प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है परन्तु गहराई पर विचार करना चाहिए।	स्थानीय रास्तों को परियोजना मालिकों द्वारा ठीक किया जाएगा और यह कार्य वर्तमान में भी किया जा रहा है।
5.	श्री तरसेम लाल, प्रधान ग्रांम पंचायत अमरोह, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने कहा कि खनन के कारण खडडे नहीं होने चाहिए और साथ लगती पंचायतों के लोगों को सस्ते मूल्यों पर सामान मिलना चाहिए। उन्होने कहा कि खनन नियमों के अनुसार ही होना चाहिए।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा परियोजना मालिक की तरफ से आश्वशत किया गया कि लागों को जरुरत के अनुसार उचित मूल्यों पर सामान दिया जाएगा वशर्ते उसका दुरप्रयोग नहीं होना चाहिए। परियोजना के परामर्शदाता ने बताया कि खनन नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।
6.	श्री प्रदीप कुमार, गांव कथोली बेरी	उन्होंने कहा कि लोगो द्वारा यहां पर जो भी मुददे उठाए है उन पर कार्यवाही होगी या नहीं। यहां की खडें गहरी हो चुकी है चलना भी मुश्किल हो चुका है।	अध्यक्ष महोदया द्वारा सम्बन्धित पुलिस विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही करने हेतू अनुरोध किया गया। उन्होने यह भी कहा कि मामले को सम्बन्धित विभाग से कार्यवाही हेतू कहा गया है रिपोर्ट आने पर मामले में आगामी कार्यवाही की जाएगी।
7.	श्री जोगिन्द्र सिंह, गांव रनोह, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने पूछा कि यहां जो जमीने बह गई हैं उसके बारे समाधान बताया जाए। यहां पर 40 फुट गहरा खडडा हो गया है और साथ ही हमारी जमीने हैं और बह रही है उसका समाधान बताया जाए या क्रशर बंद होना चाहिए। आप निरीक्षण कर सकते हैं कि मेरी जमीन का लगभग 10 लाख रुपये तक नुकसान हो चुका है साथ के सारे पिल्लर बह गये हैं। इसके समाधान बारे बताया जाए। उन्होंने कहा कि खनन किया जा रहा है और नीचे 40 फीट तक का खडडा हो चुका है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यह खनन पटटा नया है और पर्यावरण मंजूरी के बाद ही खनन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदया द्वारा बताया गया कि आपके सारे मुददों को ध्यान में ले लिया गया है तथा सम्बन्धित खनन अधिकारी को आगामी कार्यवाही हेतू निर्देश दे दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त यह जन–सुनवाई नई खनन पटटे के लिए की जा रही है और आप द्वारा उठाए गये आपेक्षो/आपतियों को हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा उसके बाद ही खनन पटटे की स्वीकृति होगी।
8.	श्री विजय शर्मा, इन्चार्ज पुलिस चोंकी संसारपुर	उन्होंने अध्यक्ष महोदया द्वारा जन–सुनवाई में अपने विचार रखने हेतू धन्यवाद किया और कहा कि खनन में पुलिस द्वारा ही	

	टैरेस, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	खनन के लिए चालान करने के लिए प्रतिवद्ध नहीं है व्लकि लगभग 17 विभागों के पास चालान वुक्स है और वह चालान करने में सक्षम हैं। पुलिस अपना कार्य करने के अलावा राजस्व विभाग, आवकारी एवं कराधान विभाग व बन विभाग का कार्य भी पुलिस कर रही है क्योकि पुलिस विभाग को दूसरे विभागों में उलझा रखा है। और यदि पुलिस अपने विभाग का कार्य करे तो यहां किसी तरह का उल्लघन नहीं होगा। मुझे यह बताया जाए कि कितने विभागों ने खनन के लिए चालान किया है। यदि कोई भी शिकायत आती है तो सम्बन्धित विभाग के पास जानी चाहिए परन्तु सभी शिकायतें पुलिस विभाग के पास ही आती है। इस पुलिस चौकी के अन्तर्गत 90 कि0मी0 का क्षेत्र है और यहां पर 13 पंचायते पड़ती हैं। हम यहां पर जाने के लिए अपने निजी वाहन का उपयोग करते हैं। मुझे यहां पर 03 से 04 महीने ही हुए है और मैने लगभग तीन लाख रु0 के जुर्माने खनन के लिए किए हैं और 09 चालान खनन के लिए किए है। पिछले कुछ समय में खनन की शिकायत के लिए गांवबासियों के साथ मिलकर पोकलेन को जप्त किया तथा एक लाख रु0 का जुर्माना किया। अतः पुलिस अपना कार्य कर रही है। अन्य विभागों से अनुरोध है कि समय पर ख़नन को चैक करें तथा कार्यवाही करें। उन्होनें उपस्थिंत लोगों से पुलिस के प्रति कोई विचार है तो उन्हें अपने विचार रखने हेतू आग्रह किया, ताकि उसका उतर दिया जा सके।	------
9.	श्री त्रिलोक चंद, गांव हलेड़, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने पूछा कि यह जन–सुनवाई नई खनन क्षेत्र के लिए हो रही है या पहले आंबटित खनन पटटे की नवीनीकरण के लिए हो रही है। उन्होनें बताया कि यहां पर पहले भी काफी नुकसान हो चुका है। अतः हम चाहते है कि इस नये खनन पटटे की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए और अधिकारियों से अनुरोध किया इस खनन पटटे की स्वीकृति हेतू कोई भी अनुशंशित न करें।	सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि यह जन–सुनवाई कुल क्षेत्रफल 09–96–64 हैक्टेयर के लिए की जा रही है। जब यहां पर क्शर लगा था तो लगभग 13 हैक्टेयर के खनन पटटे का आंबटन हुआ था लेकिन पुल के निर्माण के कारण इनके खनन क्षेत्र को कम कर दिया गया था। उस समय भी सरकारी भूमि थी और उस खनन क्षेत्र को पूरा करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त खनन पटटे को

		उन्होंने परियोजना मालिक से यहां पर किए गये खनन की जानकारी देने हेतू अनुरोध किया।	प्रस्तावित किया गया अतः यह जन–सुनवाई नये खनन पटटे के लिए है। सहायक पर्यावरण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि यह जन–सुनवाई आपकी आक्षेप दर्ज करने हेतू की जा रही है और उसी के आधार पर कार्यवाही एवं विडियों रिकार्डिगं अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति के बाद सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजी जाएगी और भारत सरकार द्वारा ही इस पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। सहायक पर्यावरण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि यह जन–सुनवाई नए खनन पटटे के लिए की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य मुददों के लिए सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।
10.	श्री विजय शर्मा, इन्चार्ज पुलिस चोंकी संसारपुर टैरेस।	उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से स्वां नदी की निशानदेही हेतू आग्रह किया क्योकि उसके अभाव में कार्यवाही करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है कि यह क्षेत्र किस जिला एवं राज्य की सीमा है।	अध्यक्ष महोदया ने कहा कि इसमें तहसीलदास को निर्देश दे दिए जाएगें और खनन विभाग इसमें बुर्जियां लगवाना सुनिश्चित करेगा।

इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान लिखित में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायतें प्राप्त नहीं हुईं।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी का धन्यावाद किया गया और कहा कि सभी द्वारा अपने सुझाव निसंकोच किसी भय एवं दबाव के व्यक्त किए और इस बारे जो भी सुझाव दिए गये हैं, जिसकी संपूर्ण कार्यवाही को लिखित व वीडियोग्राफी द्वारा भी रिकार्ड किया गया है। जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और इस पर आगामी निर्णय बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण एवं नजदीकी गांवों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवासियों का जन सुनवाई में आने के लिए धन्यवाद किया।

अंत में ई0 वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने व अपने विचार प्रकट करने हेतू आभार प्रकट किया और पर्यावरण जन–सुनवाई का समापन किया।

उपमण्डलाधिकारी
देहरा,
जिला कांगड़ा हि0.प्र0.